फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर

जिला हनुमानगढ

जयसिंह बनाम इन्द्राज आदि

किस्म मुकदमा : 212 आर.टी. एक्ट — प्रकरण संख्या 15 /2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
02.02.2023	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत जरिये वकील प्रस्तुत किया गया । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे । हमने वकील प्रार्थी की इकतरफा बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है । अत : प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थी संख्या 01, आगामी तारीख पेशी तक वाद भूमि रोही मौजा चक 13 केएनएन तहसील नोहर के खाता संख्या 166 / 166 की कुल 35 किता की 6.0720 हैक्टर एवं रोही मौजा चक 6 बारानी तहसील नोहर के खाता संख्या 46 / 39 की कुल 1.6440 हैक्टर भूमि में से प्रार्थी के हक व हिस्से की भूमि को रहन, बैय मुंतकिल न करे । उपरोक्त स्थगन मंजूरशुदा रास्ता व मंजूरशुदा खाला पर लागू नहीं होगा । वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड सम्मन पेश करें । पत्रावली बास्ते तलबी अप्रार्थीगण जरिये सम्मन जारी होकर दिनांक : 10 / 03 / 2023 को पेश हो । [signature] सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर (हनुमानगढ)	
10/3/23	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी स्वयं उपस्थित। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर मूल दावा खारिज किया जा चुका है। प्रार्थी सम्पूर्ण प्रार्थना [illegible] चाहता है। पत्रावली पुनः [illegible] पर खारिज की जाती है। [illegible] दर्ज बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ)	मे सायल इस प्रार्थना पत्र को आगे नहीं चलाना चाहता [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 16:50:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner